वकील [illegible] [illegible]

13-2-19

वकील प्रार्थी हाजिर। प्रार्थना पत्र द्वारा कार्य स्थगन है। अपूर्ती तलब हो। दिनांक 27-3-19 को पेश हो।

27-3-19

वकील प्रार्थी हाजिर। अपूर्ती एवं आदेशानुसार तलब हो। तत्काल पेश किये। दिनांक 1-5-19 को पेश हो।

1-5-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब [illegible] कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आवश्यक दिनांक 12-6-19 को पेश हो।

रीडर

12-6-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब हैडक्वार्टर कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आवश्यक दिनांक 10-7-19 को पेश हो।

रीडर

10-7-19

वकील प्रार्थी हाजिर। जवाब पेश हुआ। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र संख्या	पेशी तिथि	निर्णय तिथि
21	15-10-18	10-7-19

उनवान

1- वनीश मोहम्मद

2- सहजोर

3- सलाम हुसैन पुत्रान अब्दुल रज्जाक जाति मेव निवासी नंगलाडूंगर तहसील किशनगढ- बास जिला अलवर

4- सहरूना पुत्री अब्दुल रज्जाक पत्नी अब्दुल रज्जाक निवासी नंगलाडूंगर हाल ग्राम सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

:-प्रार्थीगण

बनाम

1- राज.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार किशनगढ-बास जिला अलवर

:- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136एल.आर.एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-

प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र पेश किया कि हम प्रार्थीगण की आ.ख.नं. हाल 28/0.25, 299/0.59, 356/0.40, 359/0.35, 298/0.48 वाके ग्राम नंगला डूंगर तहसील किशनगढ-बास के हम प्रार्थीगण 1/5 भाग के व ख.नं. 298 के 1/10 भाग के खातेदार काश्तकार है।

हम प्रार्थीगण का जमाबन्दीयात में सहवन से क्रमशः वनीश मोहम्मद के स्थान पर अनीश, सहजोर के स्थान पर सहजू, सलाम हुसैन के स्थान सलाम, सहरूना के स्थान पर मनीषा गलत दर्ज हो गया है जो सरासर गलत है अन्य आराजीयात में हम प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज है। पहचान पत्रों में भी वनीश मोहम्मद, सहजोर, सलाम हुसैन व सहरूना के नाम से ही है, जमाबन्दी सं. 2070-73 में अनीश, सहजू, सलाम, मनीषा को हलफ कराकर सही नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के गलत नाम हाल जमाबन्दी में क्रमशः

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

—2—

Scanned by CamScanner

अनीश, सहजू, सद्दाम, मनीषा को हजफ किया जाकर उनके स्थान पर सही नाम वनीश मोहम्मद, सहजोर, सद्दाम हुसैन व सहरूना अंकित किये जाने की आज्ञा दी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नायब तहसीलदार खेरथल ने जवाब में रिपोर्ट हल्का पटवारी भी जाकर बताया कि हाल जमाबन्दी के खाता सं. 302 पर मु. अतरबी बेवा व अनीश पुत्र अब्दुलरजाक, सहजू, सद्दाम पुत्रान व मनीषा पुत्री अब्दुलरजाक दर्ज है लेकिन खाताता सं. 435 पर अतरीबी बेवा अब्दुलरजाक, वनीस मोहम्मद, सहजोर, सद्दामहुसैन पुत्रान व सहरूना पुत्री अब्दुल रजाकर दर्ज है। अत: अनीश के स्थान पर वनीस मोहम्मद, सहजू के स्थान पर सहजोर, सद्दाम के स्थान पर सद्दाम हुसैन तथा मनीषा के स्थान पर सहरूना शुद्ध किया जाना उचीत है। जवाब के साथ इन्तकाल सं. 1407व नकल इन्तकाल 865 पेश किये तथा आधार कार्डों की फोटो प्रति भी पेश की है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सं. 2070-73 व आधार कार्डों की प्रतियां पेशभी है।

वकील प्रार्थीगंण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीगण का पिता जब फौत हुये उस समय ये नाबालिग थे विरासत का इन्तकाल जब दर्ज हुआ उस समय गांव के लोगों ने जो नाम बताये उस अनुसार इन्तकाल में दर्ज कर दिये गये। जब बाद में प्रार्थीगण के दादा फौत हुये तब उस इन्तकाल में नाम सही दर्ज किये गये हैं। पिता पहले गुजरा है दादा बाद में गुजरा है जो जमीन पिता अब्दुलरजाक के नाम थी उसमें गलत नाम दर्ज हो गये। प्रार्थीगण नाबालिग थे इसलिये गलती हुई है। इसलिए गलत दर्ज हो रहे नामों की दुरूस्ती की जावे।

हमने प्रार्थीगण के वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही है कि आराजी विवादित प्रार्थीगण को अपने पिता व दादा की विरासत से प्राप्त हुई है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार पिता के विरास दर्ज होने के समय प्रार्थीगण के नाम, गलत दर्ज हुये है। जब दादा की विरासत दर्ज हुई उसमें सही नाम दर्ज हुये है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कोर्डो के से भी प्रार्थीगण के अभिकथन की पुष्टि होती है। अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

--3--

Scanned by CamScanner

अत: आदेश है कि:-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़-बास को आदेश दिये जाते हैं कि हाल जमाबन्दी वाले ग्राम नांगलाडूगर तहसील किशनगढ़-बास में आ.ख.नं. 28/0.25, 299/0.59, 356/0.40, 359/0.35, 298/0.48 के 1/5 भाग व ख.नं. 298/0.58 के 1/10 भाग पर प्रार्थीगण के नाम का जो गलत इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर अनीश के स्थान पर वनीश मोहम्मद, तहजू के स्थान पर तहजोर, सद्दाम के स्थान पर सद्दाम हुसैन, मनीषा के स्थान पर सहरूना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.7.19

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास {अलवर}

Scanned by CamScanner